

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

महेश चन्द पुत्र धन्नु मीना निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक नाम दुरुस्ती


मु0न0 79/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कंतेई रुबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, मिनजानिब गुदई रुबरु पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है। कि

अतः कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के ख0न0 2018, 2019, 2020, 101, 119, 1208, 132, 1358, 1524, 1536, 1661, 1976, 43, 53, 54, 1460, 1462, 1465, 1511/2701, 1663, 1717, 1740, 1742, 1743, 1969, 2047, 2053, 529, 531, 1236, 2186, 1514, की खातेदारी में देन नाम पप्पू पुत्र धन्नु के स्थान पर महेशचन्द पुत्र धन्नु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.02.2021 को जारी की गई।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					